न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 46/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

1. ग्यारसी पत्नि कैलाश चन्द
2. कंचन पत्नि हरसहाय जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान जिला दौसा
2. परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0 दौसा 87, गंगा विहार कॉलोनी, रावत पैलेस के पीछे, आगरा रोड दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना अंतर्गत धारा 3 जी विरूद्व अवार्ड आदेश भूअवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा बाबत भूमि खसरा नंबर 618 बाबत ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान के संबंध में पुनः अवाप्तशुदा भूमि का सर्वे करवाकर मुआवजा का पुनः निर्धारण करवाने व मुआवजा दिलाये जाने बाबत ।

उपस्थित– 1. श्री लक्ष्मीनारायण मीना, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय

दिनांक 30.05.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम उदयपुरा के खसरा नंबर 619 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थीयान ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के काश्तकार व्यक्ति है तथा ग्राम उदयपुरा में खसरा नंबर 618 स्थित है जिसके प्रार्थीयान स्वामी व काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से कुछ भूमि दिल्ली–बडौदरा सडक एन. एच– 148 में अवाप्त की गई है। उक्त भूमि में प्रार्थीयान के 4 नीम के बडे पेड़, 31 खजूर के बडे पेड, 8 खजूर के छोटे पेड, 5 पापड के बडे पेड, 3 बबुल के बडे पेड कुल 51 पेड व इसके अलावा उक्त भूमि की सीमा में 4 खजूर के बडे पेड व 2 पेड पापड के बडे पेड, 2 शीमल के बडे पेड, 1 नीम का बड़ा पेड, 3 बबुल के बडे पेड, एक केला का बडा पेड, 2 नींबू के बडे पेड स्थित है। जिसको पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में सीमा ज्ञान रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया है ... प्रार्थीयान द्वारा लगाये गये थे तथा उनकी काफी मेहनत व लागत लगाकर ... भूअवाप्ति अधिकारी ने उक्त पेडो के मुआवजे के संबंध में ... ना ही मौके अनुसार पेडो के संबंध में कोई जांच की। प्रार्थीगण ने भूअवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के यहां एक प्रार्थना पत्र उक्त पेडो के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर भू अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान ने तहसीलदार नांगल राजावतान से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

पर पटवारी हल्का चूडियावास द्वारा दिनांक 26.02.2021 व 18.03.2021 को मौके पर जाकर खसरा नंबर 618 की जांच की व जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें उक्त पेडो का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान द्वारा उक्त पेडो के संबंध में कोई मुआवजे का निर्धारण नहीं किया। पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट से भी अवाप्तशुदा भूमि में पेडो के संबंध में विस्तृत रूप से रिपोर्ट पेश की है जिसके बाजवूद भी भूअवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त पेडो के मुआवजे का कोई निर्धारण नहीं किया और अप्रार्थी नंबर 1 ने पुनः पेडो के संबंध में मुआवजा का निर्धारण करने से इंकार कर दिया इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान का संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी है व भू अवाप्ति अधिकारी को आदेशित फरमाया जाना न्यायोचित है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 618 ग्राम उदयपुरा का पुनः मौके अनुसार सर्वे व जांच करवाकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि में उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित पेडो जिसकी पुष्टि तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा की गयी है, का मुआवजे का पुनः निर्धारण कर मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 भू अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 618 ग्राम उदयपुरा का पुनः सर्वे करवाकर उक्त पेडो के संबंध में मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार पुनः मुआवजा राशि का निर्धारण करवाकर प्रार्थीगण के पक्ष में मुआवजे का निर्धारण करे तथा प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा भूमि में लगे हुए पेडो का मुआवजा नियमानुसार प्रार्थीगण को दिलवाया जावे व अवार्ड आदेश में संशोधन करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर नांगल राजावतान के द्वारा ग्राम उदयपुरा स्थित भूमि, संरचना व पेडों का मुआवजा अवार्ड आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थी गलत आधारों पर मुआवजा चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब बहस में कथ्तन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है, तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन, चौडा करने, 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्ति की कार्यवाही कर 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करता है, जिसके पश्चात् ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

कि.मी. से 210 कि.मी. (दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (आठलेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोज़न हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान (दौसा) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. के भूखण्ड (दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (आठलेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या का.आ. 4116 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत में दिनांक 09.09. 2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 5944 (अ) दिनांक 29.11.2018 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 01.12.2018 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनो में दिनांक 19.12.2018 के अंको में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 618 की 0. 1856 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 वाके ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम उदयपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के खसरा नम्बर 618 की 0.1856 हैक्टेयर के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई । उक्त अवाप्तशुदा भूमि [illegible] समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित हितधारियों से सक्षम [illegible] द्वारा आक्षेप आमंत्रित किये गये । प्राप्त सभी आपत्ति[illegible] उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलम्ममों से

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहीत हो जावेगी। उक्त धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय – सरकार में निहित-भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व सम्बन्धित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियन के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर सम्बन्धित खातेदार/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, संरचना के मुआवजे के सम्बन्ध में नोटिस के प्रकाशन से 21 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी आपत्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई उनका निस्तारण करने के पश्चात् अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि के सम्बन्ध में अवार्ड पारित कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित संरचना का मूल्यांकन मैसर्स फीडबैक इन्फा प्रा० लि० नई दिल्ली द्वारा कराया गया जिसको उद्यान विभाग द्वारा सत्यापित किया गया जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि का अवार्ड दिनांक 22.04. 2021 को पारित किया गया। निजी भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की कुल राशि पर 100 प्रतिशत तोषण आंगणित किया जाकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण की तरह अन्य समान प्रकरण विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसमें कि सभी न्यायालयों द्वारा निर्णत पारित कर विपक्षी द्वारा तय किये गये मुआवजे तथा मुआवजे के निर्धारण जो कि उपरोक्तानुसार किया गया था को सही मानते हुए उक्त प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्णित किया कि विपक्षी द्वारा जो अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्मित संरचना एवम् निर्माण के सम्बन्ध में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/ सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर एवं नियमानुसार मौका एवं रिकार्ड की जांच करायी जाकर एवं भूमि पर स्थित संरचना का मूल्यांकन मैसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा० लि० नई दिल्ली द्वारा कराया गया जिसको उद्यान विभाग द्वारा सत्यापित किया गया जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया जो कि पूर्णतः सही व उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहन का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निमाण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यातायात सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है, जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत एन.एच. 148 एन निर्माण में तहसील नांगल राजावतान के राजस्व ग्राम उदयपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 618 में से भूमि अवाप्त की गई थी। भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्त भूमि, संरचना व पेडों का मुआवजा निर्धारण एन.एच.ए. आई. के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग की टीम, उधान विभाग, वन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे किये जाने के उपरांत खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अवार्ड तैयार कर मुआवजा राशि का निर्धारण करते हुए अवार्ड जारी किया गया है। उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसकी जांच तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई।
7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 618 में 4 नीम के बडे पेड, 31 खजूर के बडे पेड, 8 खजूर के छोटे पेड, 5 पापड के बडे पेड, 3 बबूल के बडे पेड, कुल 51 पेड व इसके अलावा उक्त भूमि में 4 खजूर के बडे पेड, 2 पापड के बडे पेड, 2 शीशम के बडे पेड, 1 नीम का बडा पेड, 3 बबूल के बडे पेड, 1 केले का बडा पेड, 2 नीबू के बडे पेड थे जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं देने का कथन किया गया।
9. हमने प्रार्थी द्वारा लगाये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा एक पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 18.3.2021 प्रस्तुत की गई है जिसमें कि पटवारी द्वारा मौका पर्चा में उक्त पेडों का वर्णन प्रार्थी के कहे अनुसार ही अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 618 में 4 नीम के बडे पेड, 31 खजूर के बडे पेड, 8 खजूर के छोटे पेड, 5 पापड के बडे पेड, 3 बबूल के बडे पेड मौजूद थे।
10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर पारित मुआवजा अवार्ड यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested